



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 जनवरी 2026—पौष 25, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2026

क्र.-एफ-ए-6-17-2015-1-पांच.- यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन कराए बिना तत्काल कराया जाना चाहिए.

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में,-

(1) उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(6) बोर्ड का कोई सदस्य, जो मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा अथवा मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य नहीं था/है, मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अधीन लेवल-17 की श्रेणी के किसी अधिकारी को देय प्रवेश स्तर नियत मासिक वेतन तथा भत्ते आहरित करेगा."

(2) उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(8) मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का कोई सेवारत सदस्य, बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर, मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अधीन लेवल-17 की श्रेणी के किसी अधिकारी को देय मासिक वेतन, वेतनवृद्धियां तथा भत्ते आहरित करेगा. वह सदस्य का प्रभार ग्रहण करने की तारीख को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया समझा जाएगा, किन्तु सदस्य के रूप में उसकी पश्चात्पूर्ती सेवा की गणना, मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा में अधिवार्षिकी की तारीख तक या उसके बोर्ड के सदस्य का पद धारण करने तक जो भी पूर्वतर हो, उसे लागू नियमों के अधीन पेंशन तथा सेवानिवृत्ति अभिलाभों के लिए मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा में उसकी सेवा के रूप में की जाएगी.

परन्तु मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा में अधिवार्षिकी की तारीख को वह सेवानिवृत्त हो जाएगा तथा मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य नहीं रहेगा, किन्तु अपने शेष कार्यकाल के लिए बोर्ड के सदस्य के रूप में नियमित रहेगा, कि मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त किया गया हो तथा वह अधिवार्षिकी के समय उसे देय नियत मासिक वेतन तथा भत्तों में से उसे भुगतान की जा रही मासिक पेंशन घटाकर आहरित करेगा:

परन्तु यह और कि यदि सदस्य, बोर्ड के सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा से पहले ही सेवानिवृत्त हो गया हो, तो वह मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अधीन लेवल-17 की श्रेणी के किसी अधिकारी को देय प्रवेश स्तर नियत मासिक वेतन तथा भत्ते से उच्चतर अथवा मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा से प्राप्त अंतिम वेतन तथा भत्ते, उसे भुगतान की जा रही मासिक पेंशन को घटाकर आहरित करेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का कोई सेवारत् सदस्य बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा में उसे यथा देय मासिक वेतन तथा भत्ते निरन्तर आहरित करेगा तथा वह मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा में अधिवार्षिकी की आयु तक ही आहरित करेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2026

क्र.-एफ-A6-17-2015-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-A6-17-2015-1-पांच (51), दिनांक 15 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 15th January 2026

No.-F-A6-17-2015-1-V.- WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section. 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State - Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, in Rule 4,-

(1) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(6) A member of the Board who was/is not a member of the Madhya Pradesh Higher Judicial Service or Madhya Pradesh State Taxation Service shall draw entry level fixed monthly salary and allowances payable to an officer of the rank at the level-17 under the Madhya Pradesh Vetan Punarikshan Niyam, 2017."

(2) For sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(8) A serving member of the Madhya Pradesh State Taxation Service on being appointed as a member of the Board shall draw monthly salary, increments and allowances payable to an officer of the rank at the level-17 under the Madhya Pradesh Ventan Punarikshan Niyam, 2017. He shall be deemed to have retired from the service on the date he assumes the charge of a member, but his subsequent service as a member, till the date of superannuation in the Madhya Pradesh State Taxation Service or till the date he holds the post of the Board member whichever is earlier, shall be counted as his service in the Madhya Pradesh State Taxation Service for pension and retirement benefits under the rules applicable to him:

Provided that on the date of superannuation in the Madhya Pradesh State Taxation Service, he shall be retired and cease to be a member of the Madhya Pradesh State Taxation Service, but shall continue as a member of the Board for his remaining tenure as appointed after his retirement from the Madhya Pradesh State Taxation Service and he shall draw fixed monthly salary and allowances payable to him at the time of superannuation less monthly pension being paid to him:

Provided further that if the member has already retired from the Madhya Pradesh State Taxation Service before his appointment as a member of the Board, shall draw higher of the entry level fixed monthly salary and allowances payable to an officer of the rank at the level-17 under the Madhya Pradesh Vetan PunArikshan Niyam, 2017 or last pay and allowances drawn from the Madhya Pradesh State Taxation Services, less monthly pension being paid to him:

Provided also that if a serving member of the Madhya Pradesh State Taxation Service is appointed as an additional member of the Board, he shall continue to draw monthly salary and allowances as payable to him in the Madhya Pradesh State Taxation Service and only till the age of superannuation in the Madhya Pradesh State Taxation Service."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VANDANA SHARMA, Dy. Secy.